संख्या-495/2025/462के-2/22-3-2025-17(1308)/2023

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 नवम्बर, 2025

विषय:-केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामगोपाल पुत्र श्री कामता, निवासी जनपद-सीतापुर की दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0बैठक-04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामगोपाल पुत्र श्री कामता, ग्राम-नूरपुर, थाना-हरगांव, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा भाई के हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से दिनांक 24.06.1979 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अनन्त राम नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी।। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-291/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2, सीतापुर के आदेश दिनांक 18.03.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.05.2018 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध कर सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी रामगोपाल पुत्र श्री कामता की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी की आयु 67 वर्ष, बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष मात्र अपरिहार 05 वर्ष, 03 माह, 10 दिन की भोगी गयी राजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामगोपाल (बन्दी संख्या-49607) पुत्र श्री कामता, जनपद-सीतापुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 495/2025/462के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।